चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 25.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 25.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 25.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, थानों से आये वाहनों में रखे उपकरणों को व हुटर,सायरन को बजावाकर चेक किया गया तथा पुलिस लाइन्स परिसर का भ्रमण कर नवनिर्मित भवन,डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,आरक्षी बैरिक,आरटीसी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय,आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया ।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री फहद अली,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनाँक-25.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में न्यायालय सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक श्री आर के सिंह की उपस्थिति में एस-चेक टीम चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा एवं डॉग स्क्वायड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत न्यायलय परिसर,कोर्ट चैम्बर्स व लॉकप में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(5).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह व पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 25.04.2025 को थाना कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 153/19 धारा 302,34 आईपीसी के आरोपी अभियुक्त लकी भारत अहिरवार पुत्र गंगाराम निवासी लौड़ी लवकुश नगर जिला छतरपुर म0प्र0 हाल पता कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं मु0अ0स0 238/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 04.03.2019 को वादी बिन्द्रादीन पाराशर पुत्र रामप्रसाद पाराशर निवासी इन्द्रानगर कबरई थाना कबरई जनपद महोबा द्वारा सूचना दी कि अभियुक्त लकी भारत उपरोक्त द्वारा उसके पुत्र विजय पाराशर को गोली मारकर हत्या कर देना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी पर मु0अ0सं0 153/19 धारा 302,34 आईपीसी पंजीकृत किया गया। एवं एक अदद तमंचा 315 बोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस की बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 238/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट दिनांक 26.03.2019 को पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी

निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 15.03.2019 को आरोपी उपरोक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र 02.06.20219 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी विवेक कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 25.04.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 15/25 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त संजय वर्मा पुत्र राजबहादुर वर्मा निवासी मऊ गुरदरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 100/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7).माननीय न्यायालय जे0एम0 कर्वी चित्रकूट के आदेश दिनांक 01.03.2025 के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 25.04.2025 को आबकारी अधिनियम के अभियोगो से सम्बन्धित मालो को श्रीमान क्षेत्राधिकारी राजापुर जयकरन सिंह, श्रीमान अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह,श्री राम बहादुर कार्य़ालय लिपिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेन्द्र बहादुर सिंह ,श्रीमान आबकारी निरीक्षक रविशंकर गुप्ता ,प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल, हेडमोहर्रर श्री चन्द्रपाल की उपस्थिति में थाना रैपुरा परिसर में गढ्ढा खोदवाकर कुल 36 मुकदमा आबकारी अधिनियम के पंचनामा माल समिति के समक्ष नष्ट कराकर गढ्ढे में डालकर जलवाकर विनिष्टीकरण कराया गया।